No. Z.28015/4/2008.E-I
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(Department of AYUSH)
****

Ministry of Health & Family Welfare
ISSUED ON
12 SEP 2014
जारी किया
AYUSH Bhawan, B-Block, GPO Complex, INA, New Delhi

"AYUSH Bhawan"
'B' Block, GPO Complex,
INA, New Delhi 110023.
Dated, the 5th September, 2014

OFFICE MEMORANDUM

Sub: **Implementation of the Dynamic Assured Career Progression (DACP) Scheme up to Senior Administrative Grade (SAG) level to AYUSH Doctors – reg.**

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even number dated 25.04.2011 and to say that the matter regarding grant of Dynamic Assured Career Progression (DACP) benefits to AYUSH Doctors up to Senior Administrative Grade (SAG) level has been under consideration of the Government pursuant to the judgment dated 26.11.2013 of the Hon'ble Central Administrative Tribunal, New Delhi.

2. It has been decided to extend the said Scheme (as recommended by the 6th Central Pay Commission) up to the SAG in the revised pay structure of Pay Band 4 with Grade Pay Rs. 10000/- to the practitioners of Indian System of Medicines and Homoeopathy, which is now known as Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH).

3. Accordingly, AYUSH Doctors with 7 years of regular service in the Grade Pay of Rs. 8700 in Pay Band 4 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 14300-18300 or 20 years of regular service shall be eligible for upgradation to Senior Administrative Grade level under the DACP scheme.

4. The applicability of this order shall take effect from 29.10.2008.

5. This issues with the approval of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide ID No. 78148/E-III(A)/2014, dated 7th July, 2014.

Chandra Shekhar
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No. 24651644
E-mail: shekhar.chandra@nic.in

To:

1. Director General of Health Services, Nirman Bhavan, New Delhi.
2. Director, Central Government Health Scheme, Nirman Bhavan, New Delhi.
3. Additional Director, CGHS (HQ), 9 Bikaner House, New Delhi.
4. All Additional Director, CGHS – this may be circulated to all concerned officers.
5. Department of ISM, UTs – for considering the applicability of these orders.
6. Secretary, UPSC, Dholpur House, New Delhi.
7. Ministry of Finance (Department of Expenditure, E-III (A) Branch), North Block, New Delhi.
8. US (F)/Director (F), Department of AYUSH.
9. Pay and Accounts Officer (Sectt.), M/o Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi.
10. Cash Section(AYUSH).
11. Notice Board/Guard File.
12. NIC- for uploading on the website.
13. Hindi Section – for Hindi translation.

संख्या जैड.28015/4/2008 स्था-I
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
आयुष विभाग
******

Ministry of Health & Family Welfare
ISSUED ON
19 SEP 2014
जारी किया
B-Block, GPO Complex, INA, New Delhi

'आयुष भवन'
बी-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स,
आईएनए, नई दिल्ली-110023
दिनांक 5 सितम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आयुष चिकित्सकों पर वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) स्तर तक की गतिशील सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम लागू करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 25.04.2011 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के दिनांक 26.11.2013 के निर्णय का अनुसरण करते हुए आयुष चिकित्सकों को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) स्तर तक गतिशील सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (डीएसीपी) स्कीम का लाभ देने संबंधी मामला सरकार के विचाराधीन रहा है।

2. यह निर्णय लिया गया है कि 10000/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड 4 के संशोधित वेतन ढांचे में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक की उक्त स्कीम (जैसी कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी) का विस्तार भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी जिसे अब आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) के नाम से जाना जाता है, के चिकित्साभ्यासियों तक किया जाए।

3. तदनुसार, संशोधन पूर्व के वेतनमान 14300-18300 रुपए में की गई सेवा सहित वेतन बैंड 4 में ग्रेड वेतन 8700 रुपए में 7 वर्षों की नियमित सेवा अथवा 20 वर्षों की नियमित सेवा वाले आयुष चिकित्सक इस गतिशील सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर पर उन्नयन हेतु पात्र होंगे।

4. यह आदेश दिनांक 29.10.2008 से प्रभावी होगा।

5. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की दिनांक 7 जुलाई, 2014 की अंतर्विभागीय सं. 78148/ई-III(ए)/2014, के अंतर्गत प्राप्त उनके अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(चंद्र शेखर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24651644
E mail:shekhar.chandra@nic.in

सेवा में

1 महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2 निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3 अपर निदेशक, सीजीएचएस (मुख्यालय), 9 बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
4 सभी अपर निदेशक, सीजीएचएस। यह सभी संबंधित अधिकारियों को परिचालित किया जाए।
5 भाचिप विभाग, संघ राज्य क्षेत्र - इन आदेशों को लागू करने पर विचार करने के लिए।
6 सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर आऊस, नई दिल्ली।
7 वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग, स्था-3 (क) शाखा), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8 अवर सचिव (एफ)/निदेशक (एफ), आयुष विभाग।
9 भुगतान एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
10 रोकड़ अनुभाग (आयुष)।
11 नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।
12 एनआईसी को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

E.VM